MAY-23

म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

https://mpcci.in

e अर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

♦ आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965

♦ डाक पंजीकृत सं. ग्वालियर / 40020263/2023–25

♦ वर्ष : 25, अंक : 11

♦ माह : मई 2023

118th Foundation Day

ग्वालियर में क्लस्टर डवलपमेंट एवं नवीन व्यवसायिक स्थलों के निर्माण में अपनी पूर्ण भूमिका का निर्वाहन करूंगा : श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, म. प्र. शासन

चेम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल अच्छी है, इससे ग्वालियर की नवीन और आधुनिक पहचान बनेगी : श्री दीपक सिंह, संभागायुक्त, ग्वालियर संभाग

इण्डस्ट्रियल क्लस्टर एवं नवीन व्यवसायिक स्थलों की आवश्यकता एवं निर्माण की संभावनाएँ विषय पर सेमीनार सम्पन्न

म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के 118वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 24 मई,23 को इण्डस्ट्रियल क्लस्टर एवं नवीन व्यवसायिक स्थलों की आवश्यकता एवं निर्माण की संभावनाएँ विषय पर सेमीनार का आयोजन 'चेम्बर भवन' में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री–माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त, ग्वालियर संभाग–श्री दीपक सिंह जी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर, किया गया। तदुपरांत पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन देते हुए, अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि ग्वालियर में इण्डस्ट्री तो हैं परंतु यहाँ क्लस्टर निर्माण नहीं हो पाया है। यहाँ पर कंफेक्शनरी, फूड, स्टोन, इंजीनियरिंग आदि के क्लस्टर्स डवलप हो सकते हैं। इसके साथ ही नवीन व्यवसायिक स्थलों के निर्माण की भी पूर्ण संभावनाएँ हैं। आज का यह कार्यक्रम इन्हीं पर फोकस करके किया गया है। यह कार्यक्रम आज शुरूआत है। इस कार्यक्रम में प्राप्त विचारों एवं संभावनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में चेम्बर निरंतर कार्य करेगा और लक्ष्य तक पहुँचेगा।

कार्ङ्क्रङ्क का संचालन कर रहे, ङ्कानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहाकि ग्वालिङ्कर ङ्कें अब तक कोई लस्टर्स नहीं होने से ङ्कहाँ संचालित इकाईङ्कों को कई प्रकार की परेशानिङ्कों का साङ्कना करना पड़ता है। इसलिए हङ्कारी टीङ्क द्वारा इस दिशा ङ्कें प्राथङ्किकता के साथ कार्ङ्क किङ्का जा रहा है। आज का ङ्कह कार्ङ्क्रङ्क इस दिशा ङ्कें एक शुरूआत है और भविष्ङ्क ङ्कें इसके विकास पर कार्ङ्क जारी रहेगा।

क्लस्टर डवलपमेंट के संबंध में जानकारी देते हुए सेडमैप की कार्यकारी संचालक, सुश्री अनुराधा सिंघई द्वारा ऑनलाइन प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि क्लस्टर डवलपमेंट के लिए सबसे पहली आवश्यकता ट्रस्ट बिल्डिंग की है, जो इकाईयाँ क्लस्टर डवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्लस्टर डवलपमेंट बहुत खूबसूरत योजना है। मध्यप्रदेश सरकार एवं भारत सरकार का इस योजना पर विशेष जोर है। सैडमैप क्लस्टर डवलपमेंट में मार्गदर्शन की भूमिका का निर्वाहन करता है। इसके लिए आपको एस.पी.व्ही, बनाना होता है। इससे आशय एक 10 से 20 लोगों का समूह जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतिनिधि/सूत्रधार होना चाहिए। इसके बाद डी.पी.आर. बनाकर सिडबी से एप्रूव कराकर शासन के पास भेजना होती है। उसकी स्क्रूटनी करने के बाद क्लस्टर डवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त होता है। क्लस्टर के किसी भी स्टेज पर यदि कोई कमी रह जाती है, तो उसमें सहायता करने के लिए सैडमेप तत्पर है। आप अपने प्रस्ताव के साथ भोपाल आकर मिल सकते हैं।

जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के सहायक प्रबंधक–श्री आनंद शर्मा ने राज्य शासन की क्लस्टर योजना के विषय में बताया कि जो भी भूमि क्लस्टर के लिए चिन्हित हो, उसमें 80% एमएसएमई इकाईयाँ होना चाहिए। एसपीव्ही में कम से कम 5 सदस्य हों, जिनमें ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद विकासक जो कि क्लस्टर के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास करेगा तथा निवेशक जो कि उसमें निवेश करेंगे। विकासक को दो वर्ष में भूमि विकसित करके देना होगी तथा निवेशक द्वारा शासन को लीजरेंट अदा किया जाएगा। क्लस्टर के तहत स्थापित इकाईयों को शासन की सभी अनुदान योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

एमएसएमई ग्वालियर ब्रांच के डायरेक्टर इनचार्ज–श्री राजीव कुमार ने बताया कि क्लस्टर मुख्यत: माइक्रो एवं मीडियम इकाईयों के लिए बनाए जाते हैं। इसमें 5 से 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए शासन से 60 से 70% तक अनुदान मिलता है। यदि सभी इकाईयाँ माइक्रो हैं, तो यह ग्रांट 75% तक हो जाती है। बाकी 25% राशि एसपीव्ही को जुटानी होती है। क्लस्टर की डीपीआर टेक्निकली वायबल होना चाहिए, तभी वह अप्रूव हो सकेगी। केन्द्र सरकार द्वारा क्लस्टर के तहत कॉमन फे सिलिटी सेंटर के लिए 18 करोड़ रूपये तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 करोड़ रूपये तक दिए जाते हैं। डीपीआर एप्रूवल तथा सब्मिट करने के बाद आप उसकी स्थिति ऑनलाइन चैक कर सकते हैं। ग्वालियर में इण्डस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित हों, इसके लिए हम पूर्ण सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आयुक्त ग्वालियर संभाग–श्री दीपक सिंह जी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि चेम्बर के स्थापना दिवस पर चेम्बर के मिशनरी पूर्वजों को हमें नमन करना चाहिए, जिन्होंने इसकी स्थापना की। आप सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आपने कहा कि आप किसी भी शहर को देखें, तो वहाँ सर्राफा बाजार, बर्तन बाजार, किराना बाजार आपको समान रूप से मिलेंगे। किसी एक जगह किसी वस्तु का उत्पादन या व्यापार करने की सोच पूर्व से रही है। ग्वालियर शहर में जो पुराने बाजार अथवा इण्डस्ट्रियल एरिया हैं। उनमें अब स्थान नहीं हैं, तब हमें नये बाजार, नवीन स्थान पर स्थापित करने ही होंगे। चेम्बर की पहल अच्छी है। चेम्बर को मास्टर प्लान के साथ एसोसिएशन व जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर लांग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाकर कार्य करना चाहिए। आप पहले नवीन क्लस्टर/बाजार की संभावनाओं को चिन्हित करें, फिर सेक्टरवाइज बैठक करें, तब हम किसी परिणाम पर पहुँच पाएँगे। इस पहल से हम ग्वालियर को नवीन और आधुनिक पहचान दिलाने में कामयाब होंगे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन–माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि सकारात्मक सोच और फिर उस पर चर्चा का परिणाम अवश्य ही निकलता है। आपने कहा कि हम पहले स्वर्ण रेखा नदी पर एलीवेटेड रोड की कल्पना करते थे, जो कि आज साकार होने जा रही है। इसी प्रकार आज जो हम क्लस्टर डवलपमेंट और नवीन व्यवसायिक स्थलों की चर्चा कर रहे हैं, यह भी एक दिन जरूर साकार होगी। हमारा ग्वालियर म. प्र. की स्थापना के समय औद्योगिक रूप से समृद्ध था, उसका यह स्वरूप हम वापिस ला सकते हैं। आज इसकी

शुरूआत हुई है । इसको पंख लगाने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री–श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्रीद्वय, श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया एवं माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं आपका यह सेवक अवश्य करेगा । हमें पूर्व में स्थापित चीजों का विस्तार करना है, इस पर अमल होगा। शासन की ओर से मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ । इस पर शीघ्र ही चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी । गारबेज शुल्क पर आपने कहा कि ग्वालियरवासियों को अन्य महानगरों से ज्यादा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा । साथ ही विद्युत बिल जमा करने में 2000 रूपये का नोट स्वीकार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा ।

कार्यक्रम में प्रश्नकाल सेशन में कार्यकारिणी सदस्य, सर्वश्री दीपक जैस्वानी, आशीष जैन, संजय धवन, दिलीप पंजवानी, राजेश माखीजा सहित पूर्व कोषाध्यक्ष–वसंत अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष–सुरेश बंसल एवं सदस्य सर्वश्री खालिद कुरैशी, संतोष जैन, उमेश उप्पल, महेन्द्र गुप्ता द्वारा अपनी जिज्ञासा संबंधी प्रश्न किए गए, जिनका कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया । साथ ही, कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए ।

कार्यक्रम का संचालन, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल तथा आभार कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया । कार्यक्रम में संयुक्त अध्यक्ष–हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल आदि शामिल थे ।

सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता जरूरी : सांसद, श्री विवेक नारायण शेजवलकर

सौर ऊर्जा - शासन की योजना एवं हमारा योगदान विषय पर सेमीनार आयोजित

118वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार, 26 मई,23 को दोपहर में सौर ऊर्जा – शासन की योजना एवं हमारा योगदान विषय पर सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, सांसद–श्री विवेक नारायण शेजवलकर के साथ ही, मुख्य अभियंता, सौर ऊर्जा विकास निगम–श्री श्रीकांत देशमुख, उप मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल–श्रीमती दीप्ति मिश्रा, महाप्रबंधक शहर वृत्त–श्री नितिन मांगलिक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल के मैनेजर–श्री शंकरलाल अग्रवाल उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। तदुपरांत पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन में अध्यक्ष, डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने उपस्थित महानुभावों को 118वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी तथा पूर्व अध्यक्षगणों एवं सभी पूर्व पदाधिकारियों के योगदान को इस अवसर पर स्मरण करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के कारण ही आज संस्था का 118वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम सौर ऊर्जा पर आयोजित किया गया है। इस नवकरणीय ऊर्जा का हमारी उन्नति में ही नहीं अपितु देश की उन्नति में बड़ा योगदान है। सौर ऊर्जा के संबंध में शासन की योजना और इसके संबंध में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने में आज का यह सेमीनार सहायक सिद्ध होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। यह कार्यक्रम एक शुरूआत है। इस पर आगे भी कार्यक्रम चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निरंतर किए जाते रहेंगे।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है और बहुत आसानी से उपलब्ध है और दुर्घटना की संभावना सबसे कम है। पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता दैनिक जीवन के लिए है, उससे कहीं अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इसका उपयोग हम अधिक से अधिक करें और विश्व की ऊर्जा जरूरतों को बगैर किसी प्रदूषण के पूर्ति कर सकें।

कार्यक्रम में मुख्य अभियंता, सौर ऊर्जा विकास निगम–श्री श्रीकांत देशमुख ने सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि सौर ऊर्जा से विद्युत की बचत तो है ही वातावरण को भी इससे लाभ पहुंचता है। आज जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे सामने परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने से इन परिस्थितियों में भी सुधार होगा। वर्ष–1981 से सौर ऊर्जा योजना शुरू की गई है। आपने बताया कि घरेलू सोलर सिस्टम लगाने पर 3 किलोवाट तक का प्लांट लगाने पर 40% सब्सिडी मिलती है। वहीं 3 किलोवोट से 10 किलोवाट तक के प्लांट पर 20% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं रेजीडेंसियल वेल्फेयर सोसायटी के लिए यह सब्सिडी 30% दी जाती है। सोलर सिस्टम अब मार्केट का उत्पाद हो गया है। आपने बताया कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने में गुजरात, कर्नाटक आगे हैं, मध्यप्रदेश के लोग भी इसे अपनाएँ, यह हमारा प्रयास है।

उप मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल–श्रीमती दीप्ति मिश्रा ने कहा कि सौर ऊर्जा में वन टाइम खर्च कर, लोंग टाइम लाभ लिए जा सकते हैं। आपने कहा कि म. प्र. के अन्य शहरों की अपेक्षा ग्वालियर ने सौर ऊर्जा के महत्व को कम समझा है। इस दिशा में जागरूकता की आवश्यकता है और यह कार्यक्रम इस उद्देश्य को पूर्ण करेगा। आपने बताया कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं का बिल अभी 8 से 10 हजार रुपये तक आता है, वह सौर

ऊर्जा के माध्यम से एक हजार रूपये तक रह सकता है । आप अपने घर की छत पर इस सिस्टम को स्थापित कर सकते हैं । आपने बताया कि 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 1.50 लाख रूपये तक का खर्च आता है । 1 किलोवाट सिस्टम के लिए आपकी छत पर 100 वर्गफीट जगह की आवश्यकता पड़ती है, जबकि नये सोलर पैनल 50 वर्गफीट में ही स्थापित हो जाते हैं । आपने बताया कि पूर्व में सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी वेण्डर के खाते में आती थी, अब सरकार इस सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजती है । आपने बताया कि इसके लिए आपके यहाँ नेट मीटरिंग विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाया जाएगा । सोलर सिस्टम लगाने के लिए आप वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जहाँ आपको रजिस्टर्ड वेण्डर्स भी मिल जाएँगे, उन वेण्डर्स में से किसी भी वेण्डर्स से आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं । सोलर सिस्टम से जहाँ एक ओर आप अपना बिजली खर्च बचाते हैं, वही आप देश के लिए ऊर्जा का भी उत्पादन करते हैं । आपने बताया कि सरकार द्वारा भारत में उत्पादित डोमेस्टिक सोलर पैनल पर ही सब्सिडी दी जाती है।

महाप्रबंधक (शहर वृत्त), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. सर्किल ग्वालियर–श्री नितिन मांगलिक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 2030 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है । आपने कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग से आप अपने घर का विद्युत बिल कम कर सकते हैं । सोलर सिस्टम लगाने पर आने वाली लागत 3 वर्ष में निकल आती है, उसके बाद आपके लिए फायदा ही फायदा है । आपने कहा कि सोलर सिस्टम लगाने पर उपभोक्ताओं को यदि विद्युत वितरण कंपनी की ओर से कोई परेशानी आती है, तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि–ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के सांसद, माननीय श्री विवेकनारायण शेजवलकर ने कहा कि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 300 गीगावॉट का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी हम 168 गीगावाट तक ही पहुंचे हैं । सौर ऊर्जा के उपयोग को हम जागरूकता से ही बढ़ा सकते हैं । आज का यह कार्यक्रम इस लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक होगा। आपने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सोलर सिस्टम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से अन्य चार्ज भी लिए जाते हैं, जो कि नहीं लिए जाने चाहिए । आपने उदाहरण दिया कि यदि उपभोक्ता के यहाँ लगा सोलर सिस्टम 500 यूनिट विद्युत उत्पादित करता है और उपभोक्ता द्वारा 500 यूनिट ही खपत की जाती है तो उपभोक्ता का बिल शून्य आना चाहिए जबकि ऐसा नहीं होता है। सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस विसंगति को दूर किया जाना आवश्यक है। आपने कहा कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स का सरोकार व्यापार एवं उद्योग हित के साथ ही आमजन से जुड़े मुद्दों पर भी रहता है, जो कि प्रशंसनीय है।

सवाल–जवाब सेशन में उपस्थित महानुभावों द्वारा अपनी जिज्ञासाओं संबंधी प्रश्न किए गए, जिनका समाधान उपस्थित वक्ताओं द्वारा किया गया । कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति–चिन्ह प्रदान किए गए ।

कार्यक्रम का संचालन, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल तथा आभार मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया । कार्यक्रम में संयुक्त अध्यक्ष–हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल एवं पूर्व उपाध्यक्षद्वय–श्री राधाकिशन खेतान, श्री पारस जैन, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव–श्री जगदीश मित्तल पूर्व कोषाध्यक्ष–श्री वसंत अग्रवाल सहित काफी संख्या में कार्यकारिणी समिति सदस्यगण व चेम्बर सदस्यगण उपस्थित रहे ।

शहर की महिलाएँ उद्यमी बनें ऐसी मेरी कामना है : महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार

118वें स्थापना दिवस के अवसर पर ''महिला उद्यमिता सम्मेलन'' आयोजित

118वें ''स्थापना दिवस समारोह'' के गौरवशाली अवसर पर दिनांक 26 मई,23 को शहर की महिलाएँ व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ''महिला उद्यमिता सम्मेलन'' का आयोजन सायंकाल के समय राजमाता विजयाराजे सिंधिया सभागार (चेम्बर भवन) में किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में, महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार, एमएसएमई के सहायक निदेशक-श्री राजीव कुमार एवं डीआईसी के सहायक प्रबंधक-श्री आनन्द शर्मा सहित काफी संख्या में शहर की महिला उद्यमी उपस्थित थी।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने स्वागत् उद्बोधन देते हुए कहाकि ग्वालियर में अपनी उल्लेखनीय भूमिका के लिए नारी शक्ति को मैं, प्रणाम करता हूँ। साथ ही, इस संस्था के 118 वर्ष के इतिहास में प्रथम बार वर्तमान कार्यकारिणी समिति में चार महिलाएँ शामिल हैं, उनका भी मैं स्वागत् करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने कहाकि जब आज से 118 वर्ष पूर्व 24 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना की गई थी, तब उन्होंने भी यह नहीं सोचा होगा कि 118 वर्ष पश्चात् हम इस वातानुकूलित सभागार में 118वें स्थापना दिवस पर नारी शक्ति के लिए ''महिला उद्यमी सम्मेलन'' का आयोजन होगा। आपने कहाकि नारी शक्ति जितना अच्छा प्रबंधन कर सकती हैं, उतना अच्छा प्रबंधन पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। आपने कहाकि आज का यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए एक शुरूआत है, जब हम चर्चा करेंगे, तभी उस दिशा की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए इस प्रकार के सेमीनार अवश्य ही आयोजित होते रहना चाहिए। आप उद्योग कैसे लगाएँ, इसमें चेम्बर आपकी सहायता करेगा और यदि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, तो वह भी हम उपलब्ध कराएँगे। साथ ही आपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवारी जी के पधारने पर संस्था के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत् किया।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने कहा कि हमारी टीम 18 जनवरी,23 को जबसे निर्वाचित होकर आई है। उसके पश्चात् जब-जब हमारे द्वारा महापौर, डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार जी को जो भी सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, उनके द्वारा उस पर 100 फीसदी अमल किया गया है। इस हेतु हम उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने उपस्थित महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहाकि ''महिला उद्यमिता को किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। महिला उद्यमी न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाती है। भारतीय समाज में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मोर्चों पर बदलाव लाने की जरूरत है।'' आपने कहाकि महिलाएँ न केवल स्वयं का बल्कि पूरे परिवार का काफी अच्छे से ख्याल रखती है।

कार्यक्रम में एमएसएमई, भारत सरकार के सहायक निदेशक-श्री राजीव कुमार ने महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय की अनेक योजनाएं, जैसे कि (1) दो करोड़ तक कोलेट्रल सिक्योरिटी रहित योजना, सीजीटीएमएसई (2) 15% तक मशीनों पर छूट योजना (सीएलसीएसएस), (3) विश्व व्यापार मेले में 3.5 लाख की छूट सब्सीडाई योजना – ट्रेड फेयर

(4) पीएसईजीपी योजना (50 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पर 35% तक की सब्सिडी) (5) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – 50 हजार से 10 लाख तक लोन दिया जाता है, बगैर किसी गारन्टी के । आपने कहाकि एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्वालियर में विकास कार्यालय स्थापित किया गया है, आप कभी भी कार्यालयीन समय में आकर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

इस अवसर पर डीआईसी के सहायक प्रबंधक–श्री आनन्द शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री योजना आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें स्वयं का उद्योग, व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना है । आपने बताया कि इसके लिए आवेदक म. प्र. का स्थानीय निवासी होना चाहिए । आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए तथा वह कम से कम 08वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । इसी के साथ आपने राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की विस्तार से महिला उद्यमियों को जानकारी दी । आपने बताया कि इस वर्ष सरकार ने हमें 2400 उद्योग का लक्ष्य दिया है, इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है । आपने कहाकि सभी योजनाएँ ऑनलाईन हैं , कोई भी वेबसाईट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है ।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, महापौर–डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार ने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम सभागार में उपस्थित सभी को कोटि–कोटि प्रणाम करते हुए कहा कि यहाँ उपस्थित सभी महिलाएँ उद्योग से जुड़े ऐसी मेरी कामना है । आपने कहाकि महिलाएँ आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वह भले ही राजनीति का क्षेत्र क्यों न हो । हमारे परिवार की महिलाएँ घर संभालती हैं और आज महँगाई का दौर है । इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को भी पुरुषों के साथ–साथ उद्यमी बनना पड़ेगा, तभी आज के इस महँगाई के दौर का हम सामना कर सकते हैं । आपने कहाकि यदि आज आप कोई भी उद्यम स्थापित करती है, तो उसमें गरीब महिलाओं को रोजगार मिलेगा, इससे उनके परिवार का भरण–पोषण होगा । आपने संस्था के पदाधिकारियों सहित सभी सदस्यों को संस्था की स्थापना के 118वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं ।

कार्यक्रम में लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर की अध्यक्षा–श्रीमती अलका श्रीवास्तव ने कहाकि हमारी बैंक मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ही कार्य करती है । कोई भी महिला अपना उद्यम स्थापित करने के लिए हमारी बैंक से लोन ले सकती है । इस अवसर पर बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी–श्री सतीश कुमार जैन द्वारा भी बैंक की महिलाओं को मिलने वाली ऋण संबंधी योजनाओं से अवगत कराया ।

कार्यक्रम में उपस्थित महिला उद्यमियों द्वारा अपनी जिज्ञासा संबंधी प्रश्न प्रस्तुत किए गए, जिनका उपस्थित संबंधित अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया ।

कार्यक्रम में संयुक्त अध्यक्ष–हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल सहित कार्यकारिणी समिति की सदस्या, श्रीमती अलका श्रीवास्तव, श्रीमती अंजली गुप्ता एवं श्रीमती साधना जैन सहित काफी संख्या में महिला उद्यमी शामिल थी ।

कार्यक्रम का संचालन, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल द्वारा तथा अंत में आभार, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया ।

समूहवार (चेम्बर संवाद) बैठकों का क्रम प्रारंभ...

समूह क्रमांक-3 (सिंथेटिक वस्त्र व्यवसाय) की बैठक आयोजित

व्यापार जगत की समस्याओं का संकलन करने के उद्देश्य से चेम्बर द्वारा समूहवार बैठकों का आयोजन 'चेम्बर संवाद' के रूप में प्रारंभ किया है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम समूह क्रमांक–3 (सिंथेटिक वस्त्र व्यवसाय) की बैठक दिनांक 11 मई,23 को 'चेम्बर भवन' में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे, अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा अपने उद्‌बोधन में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि चेम्बर की नवीन टीम द्वारा भविष्य के लिए कई कार्य तय किए हैं। हम सभी पदाधिकारी मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। संस्था के पुरातन नारे ''व्यापार बिना जीवन नहीं, उद्योग बिना उन्नति नहीं'' को दृष्टिगत रखते हुए व्यापार व उद्योग की समस्याओं का संकलन किया जा रहा है। इस दिशा में हमारे द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में 'पड़ाव' किया जा रहा है, ताकि उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। व्यापार की समस्याओं के संकलन के उद्देश्य से समूहवार बैठकों के लिए 'चेम्बर संवाद' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही, ग्वालियर अंचल में व्यापार एवं उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक वातावरण बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, ताकि हमारे अंचल में यह उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि आज की बैठक में आए सुझावों पर चेम्बर द्वारा प्रभावी रूप से कार्य किया जाएगा। आपने बताया कि चेम्बर के स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम 24 मई को क्लस्टर डेवलपमेंट पर कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि ग्वालियर में विभिन्न उत्पादों के अलग–अलग क्लस्टर्स का निर्माण शासन द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें प्रॉडक्शन यूनिट से लेकर, होलसेलर के लिए शॉप व गोडाउन, बैठकों के आयोजन हेतु कम्यूनिटी हॉल सहित सर्वसुविधा उपलब्ध हों।

कार्यकारिणी समिति सदस्य–श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा व्यापारियों के भुगतान विवादों की दिशा में कार्य करने का प्रस्ताव बैठक में दिया गया। श्री मनोज सरावगी द्वारा जीएसटी कठिनाईयों पर सेमीनार आयोजित किए जाने तथा लश्कर के प्रमुख बाजारों में पार्किंग की समस्या के कारण व्यापार पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से अवगत कराया गया। श्री धर्मेन्द्र जैन द्वारा जीएसटी वर्कशॉप के साथ ही जीएसटी एक्सपर्ट की सुविधा भी चेम्बर द्वारा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया। वहीं श्री किशोर कुकरेजा द्वारा भी जीएसटी से जुड़ी परेशानियों पर बैठक में ध्यान आकर्षित कराया गया।

बैठक में पूर्व कोषाध्यक्ष–श्री वसंत अग्रवाल, श्री विजय जाजू, श्री विजय खेमानी, श्री संदीप चौपड़ा, श्री प्रणय मित्तल, श्री रूपेश मित्तल, श्री मनोज जैस्वानी आदि द्वारा भी अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए गए।

उक्त बैठक में मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल सहित पूर्व कोषाध्यक्ष–वसंत अग्रवाल, समूह क्रमांक–3 से सदस्य, सर्वश्री विजय जाजू, कन्हैया अग्रवाल, जितेन्द्र अग्रवाल, आशीष लूनिया, मनोज जैस्वानी, रूपेश मित्तल, तुलसीदास मूलचंदानी, नितिन गुप्ता, विजय गुप्ता, चंद्रप्रकाश अग्रवाल, दिलीप गुप्ता, विजय खेमानी, प्रमोद खटोड़, कमल मिगलानी, संदीप चोपड़ा, बालकृष्ण खण्डेलवाल एवं प्रणय मित्तल आदि उपस्थित थे।

बैठक के अंत में उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।

MPCCI पड़ाव
शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र

उद्योगों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उद्योगपतियों के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं के निराकरण की पहल के अन्तर्गत दिनांक 13 मई,23 को शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 'पड़ाव' किया गया।

इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे, अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीन टीम ने उद्योगों की स्थानीय समस्याओं मुख्यत: नगर–निगम व विद्युत से संबंधित समस्याओं पर फोकस करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्र में ही बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, उसी के तहत आज की बैठक शंकरपुर उद्योग नगरी में आयोजित की गई है। आज आपके द्वारा जो समस्याएँ बताई जाएँगी, उनका निराकरण आगामी बैठक तक हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण हमारी प्राथमिकता में है और इस पर हम निरंतर कार्य करते रहेंगे।

बैठक में शंकरपुर उद्योग नगरी के उद्यमियों द्वारा निम्नलिखित समस्याओं से अवगत कराया गया :–

1. शंकरपुर उद्योग क्षेत्र को नगर–निगम द्वारा वैध नहीं किया गया है, जबकि हमारे द्वारा इसका लेआउट व औपचारिकताएँ पूर्ण कर, नगर–निगम को प्रस्ताव भी प्रेषित किया है। साथ ही, शंकरपुर उद्योग क्षेत्र को शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, ताकि हमें शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी व अन्य सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।
2. शंकरपुर उद्योग क्षेत्र के प्रवेश द्वार के मार्ग का समतलीकरण किया जाना चाहिए, वर्तमान में सड़क का समतलीकरण व डामरीकरण न होने से काफी परेशानी होती है।
3. औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट न होने से रात्रि के समय मार्ग पर अंधेरा व्याप्त रहता है।
4. निगम का कचरा कलेक्शन वाहन नियमित रूप से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में नहीं आता है।
5. औद्योगिक क्षेत्र में हुए अतिक्रमण पर कार्यवाही की जाए, ताकि औद्योगिक क्षेत्र की सड़क अतिक्रमण से मुक्त रहे।
6. औद्योगिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार हाईवे पर है, लेकिन स्पीड ब्रेकर न होने से औद्योगिक क्षेत्र में आने–जाने वाले वाहनों को दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है। इसलिए मुख्य मार्ग पर दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने चाहिए।
7. औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत लाईन काफी नीचे लटक रही हैं, उन्हें पर्याप्त ऊंचाई पर किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों को कोई परेशानी व दुर्घटना न हो।

8. विद्युत ट्रिपिंग व मेंटेंनेस किए जाने की जानकारी समय पर दी जाए।

9. नियमित रूप से पुलिस वाहन द्वारा गस्त की जाए, ताकि संभावित अपराधों पर अंकुश लग सके।

बैठक में उपस्थित कार्यपालन यंत्री–श्री ए. पी. एस. जादौन ने नगर–निगम से संबंधित समस्याओं के निराकरण पर कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार से कचरा संग्रहण वाहन नियमित रूप से कचरा संग्रहण करेगा। शंकरपुर उद्योग नगरी को वैध घोषित करने के लिए नगर–निगम को दिए गए लेआउट पर कार्यवाही की जाएगी, जो संस्थान चालू हालत में हैं, उनके सामने स्थित खंबों पर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी। रोड के समतलीकरण का कार्य कराया जाएगा। अमृत–2 योजना के तहत क्षेत्र में सीवर व पानी की लाइन डाली जाएगी।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक–श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा कि शंकरपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा।

विद्युत वितरण कंपनी के उपमहाप्रबंधक–श्री यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में नीचे में लटक रही विद्युत लाइनों को ठीक करने के लिए उद्यमियों के साथ मंगलवार सुबह 11.00 बजे सर्वे किया जाएगा, तदुपरांत लाइनों को ठीक करने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। विद्युत ट्रिपिंग के कारण होने वाली समस्या को दूर करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए डेडीकेटेड फीडर पर कार्य किया जा रहा है, उससे शीघ्र इकाईयों को राहत मिलेगी। मेंटेनेंस के कार्य रविवार को ही किए जाएँगे। अचानक किए जाने वाले मेंटेनेंस की जानकारी उद्यमियों को समय पूर्व दी जाएगी।

पुलिस विभाग की ओर से उपस्थित एस. आई. महोदय द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में नियमित रूप से पेट्रोलिंग किए जाने का आश्वासन दिया गया। पड़ाव चेम्बर का समापन सभी उद्यमियों द्वारा स्वच्छता की शपथ लेकर किया गया।

बैठक में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल, नगर निगम की ओर से कार्यपालन यंत्री–श्री ए. पी. एस. जादौन, सी. ओ.–श्री रजनीश गुप्ता, जेडओ–श्री अमित साहू, विद्युत वितरण कंपनी की ओर से उपमहाप्रबंधक–श्री यादव, ए.ई.–श्री विपिन भार्गव, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक–श्री राजेन्द्र सिंह, शंकरपुर उद्योग नगरी के संरक्षकद्वय–श्री अनिल माहेश्वरी, श्री सतीश गुप्ता, अध्यक्ष–श्री राजेन्द्र तलूजा, संयुक्त अध्यक्ष–श्री हाजी रईस अहमद, सचिव–श्री राजेन्द्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष–श्री दीपेन्द्र दुबे सहित उद्यमी सर्वश्री राकेश धमेजा, खुशाल गोयल, राजीव पंडित, रवि शर्मा, प्रशांत गुप्ता, प्रवीण अग्रवाल, नारायणल पाल, चेतन मित्तल, योगेन्द्र अग्रवाल, रमेश चांदवानी, आनंद तलरेजा, शरद माखीजा, गोयल माहेश्वरी, दिनेश मंगल, विवेक मेहरा एवं दिलीप जैन आदि उपस्थित रहे।

मई 2023 के महत्वपूर्ण प्रयास...

- ऊर्जा मंत्री, म. प्र. शासन–माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, स्थाई एवं अस्थाई विच्छेदित उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं हेतु विशेष योजना लागू किए जाने की माँग की गई।
- प्रबंध संचालक, म. प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को पत्र प्रेषित कर, जुलाई माह में 'चेम्बर भवन' में ग्वालियर–चंबल संभाग के हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किए जाने की माँग की गई।
- पुलिस अधीक्षक, जिला–ग्वालियर एवं आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, 'चेम्बर भवन' के सामने मुख्य मार्ग पर लगने वाली सब्जी मण्डी को हटाकर, अन्यत्र स्थापित किए जाने की माँग की गई।
- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, माननीय श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर, जेम पंजीयन का शुल्क कम किए जाने की माँग की गई।
- प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित कर, म. प्र. नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम–2023 को निरस्त किए जाने की माँग की गई।
- केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, 26 मई को आयोजित होने वाले 'स्थापना दिवस' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने हेतु सादर आमंत्रित किया गया।
- ऊर्जा मंत्री–माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, भोपाल एवं मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन, म. प्र. म. क्षे. वि. वि. कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, सीसीबी (समायोजन गणना राशि) को बिल में जोड़े जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किए गए।
- आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शहर में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं का उचित समाधान किए जाने की माँग की गई।
- केन्द्रीय रेलमंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद, ग्वालियर संसदीय क्षेत्र–माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर–भिण्ड–इटावा रेल मार्ग से अधिक से अधिक ट्रेनों का संचालन किए जाने एवं इटावा–ग्वालियर मेमू ट्रेन को शिवपुरी तक संचालित किए जाने की माँग की गई।
- प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, भोपाल को पत्र प्रेषित कर, सौर ऊर्जा : शासन का योगदान एवं हमारी भूमिका ''विषय पर आयोजित सेमीनार में मुख्य अतिथि के रूप में पधाने का अनुरोध किया गया।
- एमएसएमई मंत्री–माननीय श्री ओमप्रकाश सकलेचा को पत्र प्रेषित कर, इण्डस्ट्रियल क्लस्टर एवं नवीन व्यवसायिक स्थलों की आवश्यकता एवं निर्माण की संभावनाएँ विषय पर सेमीनार में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने का अनुरोध किया गया।
- अपर आयुक्त, जीएसटी, श्री यू. एस. वैश्य जी को पत्र प्रेषित कर, जीएसटी पंजीयन के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान के संबंध में उत्पन्न हो रही भ्रम की स्थिति को दूर करने तथा व्यवसाईयों को किसी भी प्रकार से परेशान न करने की माँग की गई।
- पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर शहर की अत्यन्त जर्जर हो चुकी ट्रेफिक व्यवस्था में सुधार की माँग की गई।
- संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. को पत्र प्रेषित कर, शंकरपुर उद्योग नगरी से आवागमन करने वाले वाहनों को दुर्घटना से सुरक्षित रखने हेतु ए. बी. रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की माँग की गई।
- मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, सेन्ट्रल एक्साईज कस्टम (म. प्र. एवं छत्तीसगढ़) को पत्र प्रेषित कर, सीजीएसटी कार्यालय को शहर में स्थापित किए जाने की माँग की गई।
- सीईओ, ग्वालियर स्मार्ट सिटी परियोजना को पत्र प्रेषित कर, 'चेम्बर भवन' में बैठक आयोजित किए जाने की माँग की गई।
- आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शंकरपुर उद्योग नगरी में सड़क, सीवर एवं स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था किए जाने की माँग की गई।
- मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, शंकरपुर उद्योग नगरी में एचटी एवं एलटी लाईन के तार निर्धारित ऊँचाई पर कराने की माँग की गई।
- सांसद, माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी को पत्र प्रेषित कर, मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना में किसानों द्वारा पंजीयन कराने के बाद भी योजना का लाभ न मिल पाने के संबंध में आवश्यक पहल करने की माँग की गई।

कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

दिनांक **18** मई,**23** को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :–

- कार्यकारिणी समिति हेतु मनोनीत सदस्यगणों को प्रमाण–पत्र का वितरण किया गया।
- स्थापना दिवस समारोह के संबंध में सदन को जानकारी दी गई।
- चेम्बर भवन के सभागारों की बुकिंग की दरों में नवीन एसी लगाए जाने से विद्युत खपत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राशि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

आवश्यक सूचना

सम्माननीय सदस्य महानुभावों,

नवीन वित्तीय वर्ष 2023-24 का सदस्यता शुल्क दिनांक 1 अप्रैल,2023 से देय हो गया है।

सदस्यता शुल्क को बगैर अधिभार के दि. 30 जून,23 तक जमा किया जा सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् रु. 50/- अधिभार की राशि देय होगी।

* पब्लिक लिमिटेड कं. : रु. 2500+GST (18%)
* प्रायवेट लिमिटेड कं. : रु. 1250+GST (18%)
* साधारण सदस्य : रु. 750.00

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा ग्राफिक्स वर्ल्ड, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–2371691,2632916,2382917